



संचालनालय संस्थागत वित्त, मध्य प्रदेश
ग-खण्ड, प्रथम तल, विन्ध्याचल भवन,
भोपाल - 462004
फैक्स - (0755) 2551199, 2552003
फैक्स - 0755-2551387

क.प्राविवि/प्रमंजधयो-2/संविसं/2015/1932

भोपाल, दिनांक 27 जून 2015

तत्काल / महत्वपूर्ण / समय-सीमा

प्रति,

1. संभागायुक्त (समस्त), मध्य प्रदेश
2. कलेक्टर (समस्त), मध्य प्रदेश
3. पुलिस उप माहानिरीक्षक, भोपाल/इन्दौर
4. पुलिस अधीक्षक (समस्त), मध्य प्रदेश
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी (समस्त), जिला पंचायत, मध्य प्रदेश
6. आयुक्त (समस्त), नगर निगम, मध्य प्रदेश
7. मुख्य कार्यपालन अधिकारी (समस्त), नगर पालिका/नगर पंचायत, मध्य प्रदेश
8. राज्य स्तरीय प्रमुख, समस्त सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, मध्य प्रदेश
9. राज्य स्तरीय प्रमुख, समस्त निजी क्षेत्र के बैंक, मध्य प्रदेश
10. अध्यक्ष, समस्त क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, मध्य प्रदेश
11. प्रबंध संचालक, मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, भोपाल
12. आंचलिक प्रबंधक, भारतीय जीवन बीमा निगम, भोपाल
13. क्षेत्रीय प्रबंधक, न्यू इण्डिया एश्योरेंस कम्पनी लि0, भोपाल
14. क्षेत्रीय प्रबंधक, यूनाईटेड इण्डिया इश्योरेंस कम्पनी लि0, भोपाल
15. क्षेत्रीय प्रबंधक, ओरियंटल इश्योरेंस कम्पनी लि0, भोपाल
16. क्षेत्रीय प्रबंधक, नेशनल इश्योरेंस कम्पनी लि0, भोपाल
17. अग्रणी जिला प्रबंधक (समस्त), मध्य प्रदेश

विषय:- प्रधान मंत्री जन धन योजना के द्वितीय चरण अंतर्गत प्रारम्भ की गई योजनाएं - अटल पेंशन योजना, प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एव प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना बाबत।

- संदर्भ:-
1. पत्र क.प्राविवि/प्रमंजधयो-2/संविसं/2015/1358 दिनांक 1 मई 2015।
 2. पत्र क.प्राविवि/प्रमंजधयो-2/संविसं/2015/1366 दिनांक 2 मई 2015।
 3. मुख्य सचिव महोदय का पत्र क. 170/मु.स./2015 दिनांक 6 मई 2015।
 4. मुख्य सचिव कार्यालय का पत्र क. 2925/उ.स./मु.स./2015 दिनांक 7 मई 2015।
 5. मुख्य सचिव महोदय का पत्र क. 174/मु.स./2015 दिनांक 12 मई 2015।
 6. पत्र क.प्राविवि/प्रमंजधयो-2/संविसं/2015/1464 दिनांक 14 मई 2015।
 7. मुख्य सचिव महोदय का पत्र क. 183/मु.स./2015 दिनांक 18 मई 2015।
 8. पत्र क.प्राविवि/प्रमंजधयो-2/संविसं/2015/1539 दिनांक 21 मई 2015।
 9. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग का पत्र क. 1/9/2014-एफआई (पीटी.।।) (सी-68798) दिनांक 21-05-2015।
 10. पत्र क.प्राविवि/प्रमंजधयो-2/संविसं/2015/1600 दिनांक 30 मई 2015।


=0=

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें जिसके माध्यम से अटल पेंशन योजना, प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एव प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं।

भारत सरकार ने सुझाया है कि प्रदेश के विभिन्न औद्योगिक क्लस्टर, औद्योगिक क्षेत्र, विभिन्न औद्योगिक इकाइयों, असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले कामगारों, राज्य शासन की विभिन्न योजनाओं के तहत कार्यरत करने वाले कामगारों, सीधे मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यरत रसीईया सह हेल्पर्स, आशा कार्यकर्ताओं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं आदि को भी इन योजनाओं का लाभ दिलाया जाये।

//2//

आपसे पुनः अनुरोध है कि विभागीय अमले को इन योजनाओं के तहत अधिक से अधिक हितग्राहियों को लाभ लेने हेतु पंजीयन करवाने के लिये प्रेरित करने का लक्ष्य दिया जाये। जिससे कि उनके द्वारा अपने अपने कार्यक्षेत्र में बैंकों के सहयोग से कैम्प आयोजित कर अधिकतम लोगों को योजनाओं का लाभ सुनिश्चित किया जा सके।


(विवेक अग्रवाल)

मिशन डायरेक्टर

सह आयुक्त

संस्थागत वित्त

भोपाल, दिनांक 28 मई 2015

पृ.क.प्राविवि/प्रमंजधयो-2/संविंस/2015/1933
प्रतिलिपि:-

1. संयुक्त सचिव, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग, जीवनदीप बिल्डिंग, संसद मार्ग, नईदिल्ली।
2. अपर मुख्य सचिव, म0प्र0शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
3. अपर मुख्य सचिव, म0प्र0शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
4. प्रमुख सचिव, म0प्र0शासन, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
5. प्रमुख सचिव, म0प्र0शासन, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
6. अवर सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, म0प्र0शासन, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
7. क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल।
8. मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल।
9. संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, मध्य प्रदेश, भोपाल।


मिशन डायरेक्टर
सह आयुक्त
संस्थागत वित्त